कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड।
ग्राम–डाण्डा लाखौण्ड,पो0ओ0 गुजराडा,सहस्त्रधारा रोड,देहरादून।
ई–मेलः–dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः– 0135–2608763,फैक्स:0135–2608746

पत्रांक संख्या–1प/रा0पु0/सी०एम०हैल्प/25/2026/ 1310 दिनांकः 01/6/ मई, 2026

सेवा में,

श्री सी०एस०जोशी,
हा०न०–269, कालिका कुंज,
निकट ब्लॉक ऑफिस, भीमताल, नैनीताल,
पिनकोड– 263136, उत्तराखण्ड, मोबाईल न०– 6396260042।

विषयः सी०एम०पोर्टल पर प्राप्त शिकायत संख्या– CMHL-022026-11-964786 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया संयुक्त निदेशक (सीएम/सीपीजीआरएएम हैल्प लाईन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्याः–29प/सी०एम०हेल्प/02/2025/5988, दिनांक 26 फरवरी, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें सी०एम०पोर्टल पर दर्ज आपकी **शिकायत संख्या–CMHL-022026-11-964786** के द्वारा "जब कोई अधिकारी या कर्मचारी अपनी किसी समस्या जैसे वेतन, अवकाश आदि के लिए प्रार्थना पत्र अपने नियंत्रण अधिकारी को देता है, तो नियंत्रण अधिकारी उसे या तो स्वीकृत/अग्रसारित करता है या अस्वीकृत करता है, ऐसी परिस्थितियों में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को प्रतिलिपि न होनें के कारण उसे यह पता नहीं चलता है, कि उसके प्रार्थना पत्र पर वाकई कार्यवाही हुई। अतः कृपया सभी नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को भी वो प्रतिलिपि अवश्य दें जिसमें कार्यालय पत्रांक पड़ा हो" का अनुरोध किया गया है। जिसे सुझाव/मांग के रुप में स्वीकार किया गया हैं।

अतः उक्त के कम में दिनांक 02.05.2026 को निदेशक (चिकि०स्वा०), महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में एक गठित समिति की बैठक आयोजित की गयी। सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के परिधिगत अधिकारियों को परिपत्र निर्गत करते हुए, अपने अधीनस्थ कार्मिको के वेतन, अवकाश आदि सामान्य प्रत्यावेदनों को यदि स्वीकृत/अस्वीकृत, या उच्च स्तर पर अग्रसारित करने तथा अपने–अपने स्तर से उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(प्रीति पन्त)
संयुक्त निदेशक (प्रशा0)

पृ० सं०–1प/रा0पु0/सी०एम०हैल्प/01/2026/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक (सी०एम०हेल्प लाईन 1905) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रीति पन्त)
संयुक्त निदेशक (प्रशा0)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड।

ग्राम–डाण्डा लाखौण्ड,पो0ओ0 गुजराडा,सहस्त्रधारा रोड,देहरादून।

ई–मेलः–dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः– 0135–2608763,फैक्सः0135–2608746

पत्रांक संख्या–1प/रा0पु0/सी०एम०हैल्प/25/2026/ 11722 दिनांकः 18 मई, 2026

प्रेषित,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/प्रमुख अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
जिला चिकित्सालय/उपजिला चिकित्सालय/महिला चिकित्सालय
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः कार्यालय में प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों के आवेदन/प्रत्यावेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संज्ञान में आया है कि जब कोई अधिकारी/कर्मचारी अपनी समस्या जैसे वेतन, अवकाश आदि के लिए प्रार्थना पत्र अपने नियंत्रक अधिकारी को देता है, तो नियंत्रक अधिकारी उसे स्वीकृत/अस्वीकृत या अग्रसारित करता है, ऐसी परिस्थितियों में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कोई प्रतिलिपि नहीं होनें के कारण उसे यह पता नही चलता कि उसके प्रार्थना पत्र पर अग्रेत्तर कार्यवाही हुई है, या नहीं और यदि कार्यवाही हुई है, तो किस स्तर तक की जा चुकी है। जिस कारण सम्बन्धित कार्मिक को बार–बार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी/कार्यालय कार्मिकों से सम्पर्क करना पड़ता है।

उक्त विषयगत प्रकरण में दिनांक 02.05.2026 को निदेशक (चिकि०स्वा०), महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में एक गठित समिति की बैठक आयोजित की गयी। सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के परिधिगत अधिकारियों को परिपत्र निर्गत करते हुए निर्देशित किया जायें, कि वे अपने अधीनस्थ कार्मिको के वेतन, अवकाश आदि सामान्य प्रत्यावेदनों को यदि स्वीकृत/अस्वीकृत, या उच्च स्तर पर अग्रसारित करते है और नियंत्रण अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन पर की गई टीप गोपनीय प्रकृति की नहीं है, तो उसकी प्रति सम्बंन्धित कार्मिक को कर दी जाय।

अतः उक्त के कम आप सभी को आदेशित किया जाता है कि आप अपने–अपने स्तर से उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

11723

पृ० सं०–1प/रा0पु0/सी०एम०हैल्प/25/2026/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक (चिकि०स्वा०), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक (वित्त), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमांऊ मण्डल नैनीताल।
4. संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक, (प्रशासन, मुख्यालय) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

निदेशक, (चिकि०स्वा०) महोदया, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 02.05.2026 को श्री सी०एस० जोशी के पत्र सी०एम०हेल्पलाईन पर की गयी शिकायत/सुझाव पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत।

दिनांक 02.05.2026 को निदेशक, (चिकि०स्वा०) महोदया, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में श्री सी०एस० जोशी के पत्र, सी०एम०हेल्पलाईन पर की गयी शिकायत/सुझाव पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1. निदेशक (वित्त)/ प्रतिनिधि, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून। – सदस्य
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून। – सदस्य
3. संयुक्त निदेशक/सहायक निदेशक (पैरामेडिकल), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून। – सदस्य
4. विधिक सलाहकार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून। – सदस्य

दिनांक 02.05.2026 को निदेशक, (चिकि०स्वा०) महोदया, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गयी थी। जिसमें संयुक्त निदेशक (प्रशासन) महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि, संयुक्त निदेशक (सी०एम०हेल्प लाईन 1905,) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पत्र दिनांक 22 जनवरी 2026 के द्वारा सी०एम०पोर्टल पर प्राप्त **शिकायत संख्या–CMHL-012026-11-937537** शिकायतकर्ता श्री सी०एस०जोशी, हा०न०–269, कालिका कुंज, निकट ब्लॉक ऑफिस, भीमताल, नैनीताल, 263136, उत्तराखण्ड, मोबाईल न०– 6396260042, ने जब किसी कर्मचारी/अधिकारी का आवेदन उच्च स्तर को प्रेषित किया जाय, उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को उपलब्ध करायी जाय, का अनुरोध किया गया।

उक्त के कम शिकायत संख्या–CMHL-012026-11-937537 के निस्तारण हेतु महानिदेशालय के पत्र संख्या–1प/रा०पु०/सी०एम०हेल्प/01/2026/5389 दिनांक 20 फरवरी 2026 के द्वारा नियंत्रण अधिकारियों को दिशा–निर्देश नहीं दिया जा सकता है, क्योकि कर्मचारियों के प्रत्यावेदन पर नियंत्रण अधिकारी की टीप गोपनीय प्रवृति की हो सकती है। ऐसे में प्रकरण में कार्मिक द्वारा सूचना की मांग आर०टी०आई० के अन्तर्गत की जा सकती है। जिसका निस्तारण नियंत्रण अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर किया जा सकता है। तेत्पश्चात शिकायत को निक्षेपित कर क्लोज कर दिया गया है।

शिकायकर्ता द्वारा पुनः अपनी **शिकायत संख्या–CMHL-022026-11-964786,** के द्वारा "जब कोई अधिकारी या कर्मचारी अपनी किसी समस्या जैसे वेतन, अवकाश आदि के लिए प्रार्थना पत्र अपने नियंत्रण अधिकारी को देता है, तो नियंत्रण अधिकारी उसे या तो स्वीकृत/अग्रसारित करता है या अस्वीकृत करता है, ऐसी परिस्थितियों में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को प्रतिलिपि न होनें के कारण उसे यह पता नहीं चलता है, कि उसके प्रार्थना पत्र पर वाकई कार्यवाही हुई। अतः कृपया सभी नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को भी वो प्रतिलिपि अवश्य दें जिसमें कार्यालय पत्रांक पड़ा हो" का अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम में अनुरोधकर्ता के पत्र दिनांक 25.02.2026 में सुझाव/मांग के रुप में पृथक से विचार किया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में अनुरोधकर्ता को सूचित कर दिया जायेगा। अतः शिकायत संख्या– **CMHL-022026-11-964786,** दिनांक 19.01.2026 को निक्षेपित कर क्लोज कर दिया गया।

शिकायकर्ता द्वारा अपनी उक्त शिकायतों के निस्तारण हेतु विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाले आवेदन/प्रतिवेदन की स्थिति स्पष्ट रुप से ज्ञात होने एवं आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने का बार–बार अनुरोध किया जा रहा है।

उक्त शिकायत सुझाव/मांग पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया गया, एवं सर्व सहमति से समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि महानिदेशक, महोदया को उनके महानिदेशालय के सभी परिधिगत अधिकारियों को एक परिपत्र निर्गत करते हुए निर्देश दिये जाये कि वे अपने अधीनस्त कार्मिको के वेतन, अवकाश आदि सामान्य प्रत्यावेदनों को यदि स्वीकृति हेतु उच्च स्तर पर अग्रसारित करते है, एवं नियंत्रण अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्यावेदन पर की गई टीप गोपनीय प्रकृति की नहीं है, तो उसकी प्रति सम्बंन्धित कार्मिक को कर दी जाय।

(श्री सुनील पुरोहित)
विधिक सलाहकार
सदस्य

(श्री चन्द्र प्रकाश)
निदेशक(वित्त)/प्रतिनिधि सहायक लेखाधिकारी
सदस्य

(डा० अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक (पैरामेडिकल),
सदस्य

(डा०प्रीति पन्त)
अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रशा०)
सदस्य

(शिखा जंगपांगी)
निदेशक (चिकि०स्वा०)
अध्यक्ष